



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1948 (श10)

(सं० पटना 1058) पटना सोमवार 31 अगस्त 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना

25 अगस्त 2026

एस० ओ० 199 दिनांक 31 अगस्त 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 100 एवं सामाजिक सुरक्षा (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम-2 (ड) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अध्याय-VIII के अधीन सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी श्रम अधीक्षक, सभी श्रम अधीक्षक अधिनियम एवं सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को उपकर संग्रहक नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं०-01/COSS-10-02/2025-200/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

25 अगस्त 2026

एस० ओ० 200 एस० ओ० 199 दिनांक 31 अगस्त 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं०-01/COSS-10-02/2025-201/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 25th August 2026

SO 199 date 31 August 2026—In exercise of the powers conferred by Section 100 and rule 2(m) of the Social Security (Central) Rule, 2026 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint All Assistant Labour Commissioner, All Labour Superintendent, All Labour Superintendent Act and All Labour Enforcement Officer as the Cess Collector under Chapter-VIII of the Code.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

*(No. 01/COSS-10-02/2025–200/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1058-571+200-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>